# भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

**I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE**

**BEECHWAL, BIKANER (RAJASTHAN) - 334006**

**बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६**

भाकृअनुप ICAR

के शु बा सं


F.No.07(ii)04/CS/FPA/14/ 10470 Dated :19.12.2015

**SPEED-POST**

91

श्री मघराम पुत्र श्री कोजुराम
गांव– बिछवाल, बीकानेर
जिला– बीकानेर–334336

विषय : संस्थान के विभिन्न प्रखण्डो से बेर के पोधौं की कटाई–छंटाई (प्रुनिंग) से प्राप्त तथा आंधीतुफान में टुटी हुई लकडियों की खुली निलामी - बाबत ।

संदर्भ : 1. नीलामी दिनांक : 10.12.2015

2. नोट दिनांक / क. सं. 07(ii)06/CS/FP/Action/2011/9749 दिनांक 10.12.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि उपरोक्त नीलामी हेतु आपके द्वारा लगाई गई अधिकतम बोली रु. 71,000/- (रुपये इकहत्तर हजार मात्र) को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा आप द्वारा बोली की पूर्ण राशि जमा करवा दी गई है (क्रमशः रु.**2000/-** टी.आर.-5 सं.65 दि: 10.12.2015 + रु. **25000/-** टी.आर.-5 सं.64 दि: 10.12.2015 एवं **46000.00** TR-5 No. 68 Dt. 16.12.2015) । अतः आप संस्थान के प्रभारी फार्म से सम्पर्क करते हुए विभिन्न प्रखण्डो से बेर के पोधों की कटाई–छंटाई (प्रुनिंग) से प्राप्त तथा आंधीतूफान में टूटी हुई लकडियों (जैसे नीम, देशी कीकर, खेजडी,बेर, आंवला, लसोडा, फांस तथा अन्य जो आंधीतूफांन से टूटे पेडों की सूखी लकडियां इत्यादि) का कार्य तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित शर्तों पर आरम्भ करें :-

1. बेर के पोधौं की कटाई–छंटाई (प्रुनिंग) से प्राप्त तथा आंधीतूफान में टूटी हुई लकडियों (जैसे नीम, देशी कीकर, खेजडी,बेर, आंवला, लसोडा, फांस तथा अन्य जो आंधीतूफांन से टूटे पेडों की सूखी लकडियां इत्यादि) के कार्य हेतु किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से सम्पर्क किया जा सकता है ।
2. आप को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त कार्य करते समय संस्थान के बगीचो में लगे वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुचें । संस्थान के बगीचो में लगे वृक्षों/ बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा । यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई आपको करनी होगी ।
3. इस कार्या आदेश, बेर के पोधौं की कटाई–छंटाई (प्रुनिंग) से प्राप्त तथा आंधीतूफान में टूटी हुई लकडियों (जैसे नीम, देशी कीकर,खेजडी,बेर, आंवला, लसोडा, फांस तथा अन्य जो आंधीतूफांन से टूटे पेडों की सूखी लकड़ियां इत्यादि) के जारी होने के एक माह में यह कार्य पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात आपका अधिकार सभी प्रकार की सूखी लकडियों पर कोई अधिकार नही रहेगा। इस अवधि में सभी प्रकार की सूखी लकडियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आपका ही होगा ।
4. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी आप की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा ।
5. उपरोक्त सूखी लकडियो का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रभारी फार्म एवं तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देखरेख में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में सूखी लकडियो को ले जाने का कार्य नही होगी। संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को उपरोक्त के लिये नही लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। निलामी की लकडियों को संस्थान के बाहर ले जाने के लिये अनुमति पत्र (गेट पास) लेना अनिवार्य है ।
6. निलामी की सूखी लकडियों का भण्डारण रख-रखाव इनके परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा ।

9. निलामी की सूखी लकडियों के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदुरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता आपकी होगी की होगी एवं संस्थान इसमे किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा ।
10. नीलामी हेतु जमा करवायी गई बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) कार्य पुर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अदेयता प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु आपको संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।
11. जिन पेड़ों की शाखायें टूटी हुई है, उनको अनुबंधक द्वारा पेड़ को नुकशान पहुंचाये बिना काटना होगा।
12. केवल कार्य दिवस व कार्यालय समय में ही उपरोक्त कार्य सम्पन्न करना होगा एवं सामान(लकड़ियों) की निकासी गेट पास द्वारा सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक की जायेगी।
13. किसी भी प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कारणों से लकड़ियों को होने वाले नुकशान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।

भवदीय,

**(पी.पी.पारीक)**
**प्र.सहायक प्रशासनिक अधिकारी**

**प्रतिलिपि:-**

1. प्रभारी फार्म
2. फार्म मैनेजर
3. वित्त एवं लेखा अधिकारी
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी
5. प्रभारी सुरक्षा
6. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक)
7. प्रभारी, ए.के.एम.यु. केशुबासं, बीकानेर - संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु ।

13/1/15

**प्र.सहायक प्रशासनिक अधिकारी**